न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/751

1. जीतराम पुत्र स्वर्गीय गिरधारी,
2. मदन पुत्र स्वर्गीय गिरधारी,
3. रामजस पुत्र स्वर्गीय गिरधारी,
4. सम्पति पत्नि स्वर्गीय गिरधारी, जाति मेघवाल, निवासी राबडका, तहसील टपूकडा, जिला अलवर वारिसान गिरधारी पुत्र पनीराम पुत्र टोडूराम, जाति मेघवाल, निवासी राबडका, तहसील टपूकडा, जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुरेश पुत्र बोदनराम,
2. कैलाश पुत्री बोदनराम,
3. राजबाला पुत्री बोदनराम,
4. काशीराम पुत्र प्यारेलाल,
5. कश्मीरी पुत्री प्यारेलाल,
6. शांति पुत्री पनीराम,
7. ओमकार पुत्र बोदनराम,
8. कमला देवी पत्नि स्वर्गीय रामचन्द्र,
9. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र,
10. सन्दीप पुत्र रामचन्द्र
11. रविन्द्र पुत्र रामचन्द्र,
12. मन्जू पुत्री रामचन्द्र,
13. शारदा पत्नि स्वर्गीय हुक्मचन्द,
14. राहुल पुत्र स्वर्गीय हुक्मचन्द,
15. सरिता पुत्री हुक्मचन्द, जाति मेघवाल, निवासीयान ग्राम राबडका, तहसील टपूकडा, जिला अलवर, राजस्थान।

– असल–रेस्पोडेन्ट्स

16. सरपंच, ग्राम पंचायत महेशरा, तहसील टपूकडा, जिला अलवर, राजस्थान।

– तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, जिला अलवर निर्णय दिनांक 04.04.2022 जिसके द्वारा असल–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की अपील संख्या 21/17 बाबत इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 व इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 ग्राम राबडका हाल खसरा नं0 738/926 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम राबडका, तहसील टपूकडा गलत तरीक पर खिलाफ मनशाये कानून स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 118 व 224 को खारिज किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5, 7, 13, 14, 15 की ओर से।
3. श्री जितेन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 7, की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 03.03.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.04.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 17.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने एक अपील संख्या 21/17 बअनुवान सुरेश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत महेशरा इस आशय की प्रस्तुत की कि इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 व इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 ग्राम राबडका ग्राम पंचायत महेशरा बाबत आराजी खसरा नं0 738/926 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम राबडका तहसील टपूकडा जिला अलवर के उक्त इन्तकालों को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के नाम का अमल राजस्व रेकार्ड में उनके हिस्से अनुसार किये जाने के आदेश फरमावें। उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.04.2022 द्वारा अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 व इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 ग्राम राबडका तहसील टपूकडा खारिज करने तथा प्रकरण तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे मृतक पनीराम उर्फ पनीया पुत्र टाडूराम मेघवाल निवासी राबडका के वारिसान की जांच करने व विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट जीतराम पुत्र स्वर्गीय गिरधारी वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर का निर्णय दिनांक 04.04.2022 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्टस के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि विद्वान तहत् न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.04.2022 की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 31.05.2022 को गांव में हुई तब पटवारी हल्का ने बताया कि इन्तकाल संख्या 118 व 224 को खारिज कर दिया गया है। जिस पर मिन अपीलान्ट तिजारा अपने वकील साहब से मिला तो मैनें उन्हे पटवारी हल्का द्वारा कही गई बातों के बारे में बताया वकील साहब ने भी कहा कि अपील का फैसला हो गया है। जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 01.06.2022 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 10.06.2022 को मिन अपीलान्ट को प्राप्त हुई। मिन अपीलान्ट ने मुकदमें की पैरवी की जिम्मेदारी वकील साहब को दी हुई थी और वकील साहब ने कहा कि जब कभी भी आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा लेकिन वकील साहब ने कोई सूचना मिन अपीलान्ट को नहीं दी। जिससे तहत् न्यायालय के निर्णय की जानकारी समय पर नही हो पाई चूंकि मिन अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है। जिनके पास उक्त जमीन के अलावा कोई आय का साधन नहीं है पैसे आदि का इन्तजाम कर मिन अपीलान्ट ने जयपुर वकील साहब से सम्पर्क किया और उन्होनें अपील करने की सलाह दी। जिस पर तुरन्त यह अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 04.04.2022 से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक हुई देरी को जानकारी के दिन व वकील साहिबान सलाह मशोहरा व पैसे आदि का इन्तजाम करने में लगा समय को माफ (कन्डोन) करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विवादित आराजी मिन अपीलान्ट के दादा पनीराम उर्फ पनिया पुत्र टाडूराम के कब्जेकाश्त की खातेदारी आराजी थी। जिस आराजी की वसीयत मिन अपीलान्ट के दादा गिरधारी को दिनांक 05.05.1977 को कर दी गई थी। मिन अपीलान्टान के दादा का स्वर्गवास होने के पश्चात् इन्तकाल संख्या 118 मिन अपीलान्ट के पिता व मिन अपीलान्ट की दादी मन्नी के नाम दिनांक 04.12.1978 को दर्ज व तस्दीक किया गया। सन् 1978 से आज तक मिन अपीलान्ट के पिता जीवित रहे। जब तक आराजी मुतनाजा पर काश्त करते चले आ रहे है और उनके स्वर्गवास के पश्चात मिन अपीलान्टान काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर आज भी मिन अपीलान्टान का कब्जा है। मिन अपीलान्ट की दादी मां मन्नी देवी बेवा पनीराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् दिनांक 19.11.1984 को मन्नी की विरासत का इन्तकाल संख्या 224 मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया। इस प्रकार पनीराम की सम्पूर्ण आराजी खसरा नं0 738/926 रकबा 1 हैक्टेयर 26 एयर वाके ग्राम राबडका तहसील टपूकडा जिला अलवर पर मिन अपीलान्टान का कब्जा काश्त मौजूद है और आज भी मौके पर हम काबिज चले आ रहे है। असल रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 ने तहत् न्यायालय में अपील इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 के खिलाफ 39 साल बाद तहत् न्यायालय में प्रस्तुत की और ठीक उसी प्रकार इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 के विरूद्ध अपील 33 साल बाद तहत न्यायालय में प्रस्तुत की। विद्वान तहत् न्यायालय ने मियाद के महत्त्वपूर्ण बिन्दू को नजरअन्दाज करते हुए महज इस आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया कि रेस्पोडेन्ट/हाल अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जबकि विद्वान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहत् न्यायालय को इतने अन्तराल बाद प्रस्तुत की गई अपील के बारे में सन्तोषजनक कारण दर्ज होने के पश्चात् ही प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का कोई विवेचन मियाद के बिन्दू पर नही किया इस वजह से भी तहत् न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान तहत् न्यायालय अपने निर्णय में केवल मात्र यह दर्ज करते हुए अपील स्वीकार की है कि रेस्पोडेन्ट/हाल अपीलान्ट द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि कानूनन अपील में जवाब की कोई आवश्यकता नही होती है और ना ही अपील में जवाब प्रस्तुत किया जाता है। विद्वान तहत् न्यायालय में इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 ग्राम पंचायत महेशरा व इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 ग्राम पंचायत महेशरा के विरूद्ध एक ही अपील की है। जबकि कानूनन दोनों इन्तकाल के विरूद्ध अलग–अलग अपीलें की जानी चाहिए थी। लेकिन तहत् न्यायालय ने इस अहम् कानूनी बिन्दू को भी नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आराजी विवादित मिन अपीलान्ट के दादा पनीराम के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस आराजी को उन्होने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.05.1977 को मिन अपीलान्टान के पिता गिरधारी को वसीयत कर दी थी। जिस वसीयत को करने का मिन अपीलान्ट के दादा को पूर्ण हक व अधिकार था। सन् 1978 से लेकर सन् 2017 तक रेस्पोडेन्ट उक्त वसीयत व इन्तकाल के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को मिन अपीलान्ट के दादा के पक्ष में की गई वसीयत व इन्तकाल की पूर्णरूपेण जानकारी थी और अब सन् 2017 में आराजी के भाव बढ जाने के कारण उनके दिल व दिमाग में बदनियति व बेईमानी आने के कारण तहत् न्यायालय में अपील की है। मिन अपीलान्ट की दादी मां मन्नी देवी का स्वर्गवास भी सन् 1984 में हो गया था और उसकी विरासत का इन्तकाल भी मिन अपीलान्ट के पिता गिरधारी के नाम दर्ज व तस्दीक किया। जिस इन्तकाल की भी रेस्पोडेन्ट को भलीभांति जानकारी थी। जिस सम्बन्ध में भी रेस्पोडेन्ट ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया। जबकि राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलान्ट के पिता गिरधारी का नाम दर्ज बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि तहत् न्यायालय में अपील बदनियति पूर्वक दायर की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 15.09.2014 को मिन अपीलान्टान के पिता को एक सहमति पत्र बाबत् इन्तकाल व आराजी के सम्बन्ध में दिया हुआ है और जिस पर उन्होने अपनी फोटो भी चस्पा की हुई है। इससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को इन्तकाल व राजस्व रिकार्ड की पूर्ण जानकारी थी लेकिन बदनियति पूर्वक उनके दिमाग में बेईमानी आ जाने के कारण सन् 2017 में तहत् न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 04.04.2022 बाबत् इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 व इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 ग्राम राबडका, तहसील टपूकडा, जिला अलवर निरस्त फरमाया जावे व इन्तकाल संख्या 118 व 224 बदस्तूर बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5, 7, 13, 14, 15 के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाायत 5 ने एक अपील संख्या 21/17 बअनुवान बनाम सरपंच ग्राम पंचायत महेशरा इस आशय की प्रस्तुत की कि इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 व इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 ग्राम राबडका ग्राम पंचायत महेशरा बाबत आराजी खसरा नं0 738/926 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके राबडका तहसील टपूकडा जिला अलवर अपीलान्ट्स तरतीबी रेस्पोडेन्टस व असल रेस्पोडेन्ट्स के दादा, परदादा व पिता श्री पनीराम पुत्र टाडूराम की अलोटशुदा आराजी है। मृतक पनीराम उर्फ पनिया अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहा। पनीराम की मृत्यु उपरान्त आराजी की विरासत का इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 रेस्पोडेन्ट नं. 2 गिरधारी (मृतक) पुत्र पनीराम ने ग्राम पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियो से साज बाज होकर स्वयं रेस्पोडेन्ट नं. 2 गिरधारी पुत्र पनीराम व मन्नी बेवा पनीराम के पक्ष में दर्ज व मंजूर करा लिया तथा मन्नी बेवा पनीराम की मृत्यु पश्चात विरासत का इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1982 रेस्पोडेन्ट नं. 2 गिरधारी पुत्र पनीराम ने अपने स्वयं के नाम दर्ज व स्वीकृत करा लिया। राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी ने मृतक पनीराम व मृतका मन्नी के वारिसान की जांच नहीं की, जबकि प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार पनीराम के अन्य विधिक वारिसान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट्स एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स भी है। जिनका विरासत के इन्तकालों में आराजी खसरा नम्बर हाल 738/926 रकबा 1.2600 हैक्टयर में हिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिये था। आराजी पर अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्ट अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल करवाने के अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमावें। उक्त इन्तकालों को निरस्त फरमाया जावे अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के नाम का अमल राजस्व रेकार्ड में उनके हिस्से अनुसार किये जाने के आदेश फरमावें। उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.04.2022 द्वारा अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 04.12.1978 व इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 19.11.1984 ग्राम राबडका तहसील टपूकडा खारिज करने तथा प्रकरण तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे मृतक पनीराम उर्फ पनीया पुत्र टाडूराम मेघवाल निवासी राबडका के वारिसान की जांच करने व विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, जिला अलवर दिनांक 04.04.2022 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 31.05.2022 को गांव में हुई तब पटवारी हल्का ने बताया कि इन्तकाल संख्या 118 व 222 को खारिज कर दिया गया। मिन अपीलान्ट ने दिनांक 01.06.2022 को नकल नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जो नकल दिनांक 10.06.2022 को मिन अपीलान्ट को प्राप्त हुई। निर्णय दिनांक 04.04.2022 से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक हुई देरी को जानकारी के दिन व वकील साहिबान से सलाह मशोहरा व पैसे आदि का इन्तजाम करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट द्वारा सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पनीराम के गिरधारी के अतिरिक्त अन्य सन्तानें भी थी। इस तथ्य से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में इन्कार नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मूल खातेदार के समस्त वारिसान की जॉच के पश्चात ही नामांतकरण खोला जाना चाहिए था। अतः तहत न्यायालय का आदेश कि तहसीलदार मृतक पनीराम उर्फ पनीया पुत्र टाडूराम मेघवाल निवासी राबडका के वारिसान की जॉच करें व विधि सम्मत निर्णय पारित करे उचित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा दिनांक 04.04.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर